नरेश [illegible] बनाम भूमिधारी

दावा मु.नं. 177/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28-04-2025	वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1051/ मु. अ./2025 दिनांक 04-04-25 के द्वारा जॉंच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते पेश होने साक्ष्य पत्रावली दिनांक 09-05-2025 को पेश हो। PO साहब RO मीटिंग में पधारे हुये है। (हस्ताक्षर)	
9.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय [illegible]रान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible]रे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14.5.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण बन्द हो जाने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉंच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 23.05.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
23.05.2025	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वा[illegible] द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकॉर्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी	

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	नरेश सिंह बनाम भूमिधारी हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं.- 127/2024
	दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
127 / 2024	2024 / 349	18.10.2024	23.05.2025

उनवान प्रकरण

1–नरेशसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह आयु वर्ष

2–गोविन्दसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह आयु वर्ष

3–सुप्यार कंवर पत्नी स्व. नाथूसिंह आयु वर्ष

4–औमा देवी पुत्री स्व. नाथूसिंह आयु वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी–सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––वादीगण

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रतिवादी

उपस्थित :–

श्री सुभाष यादव , एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

दावा ... घोषणा ... रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 रा0 काश्त0 अधि0)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम कोटड़ी सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी भू. अभि. नि. जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 465 क्षैत्रफल 0.9600 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता–पति का नाम नाथूसिंह पुत्र भागूसिंह दर्ज है। जिसमें वादीगण के पिता–पति नाथूसिंह की वल्दीयत भागूसिंह गलत दर्ज है जबकि वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह के पिता का वास्तविक नाम भगवानसिंह है एवं वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में भी वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह के पिता का नाम भगवानसिंह ही दर्ज है परन्तु उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी में वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह की वल्दीयत भागूसिंह दर्ज हो गयी, जो वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह के पिता को घर पर बोलते नाम भागूसिंह पुकारने के कारण दर्ज हो गयी थी, वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह के पिता का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में भागूसिंह दर्ज होने एवं अन्य दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह के पिता का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगवानसिंह दर्ज होने से विरासत का नामान्तकरण खुलवाने में परेशानी आ रही है। इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी में वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह की वल्दीयत भागूसिंह के स्थान पर भगवानसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादी ने भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उक्तानुसार दुरूस्ती करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 10–09–2024 को इन्कार हो गये एवं न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने एवं दुरूस्ती का आदेश लाने हेतु कहे जाने पर अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि:– कि तन राजस्व ग्राम कोटड़ी सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी भू. अभि. नि. जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 465 क्षेत्रफल 0.9600 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता–पति स्वर्गीय नाथूसिंह की वल्दीयत भागूसिंह के स्थान पर भगवानसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने एवं इसी अनुसार दुरूस्ती हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1051/भू.अ./2025 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला की मूल फर्द मौका जॉच रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की है। पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला ने अपनी जॉच मौका रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम कोटड़ी सिमारला पटवार मण्डल कोटड़ी सिमारला के भूमि खसरा नम्बर 465 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर के खातेदार नाथू सिंह पुत्र भागू सिंह जाति राजपूत जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 में सुमेर सिंह नाथू सिंह पिता भागू सिंह, सोन कॅवर बेवा भागूसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 255 दिनांक 20.07.2004 जरिये विरासत भागू सिंह पुत्र जोर सिंह हिस्सा 1/3 के स्थान पर सुमेर सिंह, नाथू सिंह पुत्र भागू सिंह व सोन कॅवर बेवा भागू सिंह के नाम स्वी... है। फर्द मौका रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट, शपथ पत्र ... के नाथू सिंह पुत्र भागू सिंह व नाथू सिंह पुत्र भगवान ... दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार नाथू सिंह पुत्र भागू सिंह के स्थान पर नाथू सिंह पुत्र भागू सिंह उर्फ भगवान सिंह दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा पटवारी हल्का द्वारा की गई है। प्रकरण में वकील वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, 2042, 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065, 2066 से 2069, 2070 से 2073 की जमाबंदी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नाथू सिंह, परिवार राशन कार्ड, सरपंच, ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला द्वारा नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र, वाद पत्र के समर्थन में नरेश सिंह का शपथ पत्र, पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि तन ग्राम कोटड़ी सिमारला, ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 465 कुल रकबा 0.96 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम नाथूसिंह पुत्र भागूसिंह के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है, जबकि अन्य दस्तावेजात् यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता/पति का नाम नाथूसिंह पुत्र भगवान सिंह तथा वादीगण के पिता/पति के मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड में पिता का नाम नाथूसिंह पुत्र भगवान सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला की फर्द मौका जॉच रिपोर्ट में भी वादीगण के पिता/पति का नाम नाथूसिंह पुत्र भागूसिंह की वल्दियत मे भागूसिंह के स्थान पर भगवान सिंह सही होना पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण के पिता/पति का नाम नाथूसिंह पुत्र भागूसिंह के स्थान पर नाथू सिंह पुत्र भगवान सिंह उर्फ भागू सिंह शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किया जाता है तथा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

घोषणा की जाती है कि तन ग्राम कोटड़ी सिमारला पटवार हल्का कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 465 कुल रकबा 0.9000 हैक्टर की खातेदारी में वादीगण के पिता– पति स्वर्गीय नाथूसिंह पुत्र भागूसिंह के स्थान पर नाथूसिंह पुत्र भगवान सिंह उर्फ भागूसिंह घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:57 IST
Reason: SelfAttested